मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की केन्द्र प्रायोजित स्कीम
(एस पी क्यू ई एम)

प्रस्तावना :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की अवधारणा को स्वीकार किया गया है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि एक निश्चित स्तर तक सभी विद्यार्थियों की जाति, नस्ल, भाषा अथवा बालक–बालिका पर ध्यान दिए बिना उन्हें पर्याप्त गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ कराई जाए। इस नीति में अभी तक शैक्षिक रूप से पिछड़े रह गए व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करके असमानताओं को दूर करने और शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसीलिए समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हैं।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सभी सम्भव उपायों की व्यवस्था करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बच्चे मकतबों/मदरसों/दारूल–ऊलूमों में शिक्षा प्राप्त करते हैं जिनकी राष्ट्रीय मुख्यधारा शिक्षा पद्धति में बहुत कम सहभागिता होती है। इन संस्थाओं में कमोबेश धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इन्हें आधुनिक विषयों की शिक्षा सुलभ कराने के लिए केन्द्र सरकार क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम कार्यान्वित कर रही है। दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की गई इस स्कीम में दो घटक अर्थात् शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की शिक्षा जरूरतों को पूरा कर रही शिक्षा संस्थाओं को सहायता और मदरसों की परम्परागत संस्थाओं में आधुनिक विषयों को शुरू करना था।

3. अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सभी पहलुओं की जांच–पड़ताल करने और अल्पसंख्यकों की शैक्षिक अधिकारिता की स्थितियों में सुधार के अर्थोपाय सुझाने तथा कुछ राज्यों का दौरा करने और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, शिक्षाविदों तथा मदरसा प्रावधान के साथ तालमेल करने के लिए वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति गठित की गई थी। मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित करने के उपाय सुझाने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति की एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इस विशेषज्ञ समिति ने यह सुझाव दिया है कि अकादमिक स्तरों के सत्यापन की व्यवस्था करने, व्यावसायिक शिक्षा से सम्पर्क स्थापित करने, आधुनिक विषयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षक प्रशिक्षण शुरू करने, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने, मुस्लिम समुदाय के शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इनका अनुवीक्षण करने के लिए राज्य मदरसा बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए मदरसों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के साथ जोड़ने की व्यवस्था की जाए।

4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति की विशेषज्ञ समिति के उपायों को ध्यान में रखते हुए मदरसों में गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने की स्कीम को नया रूप दिया गया है।

बजट प्रावधान :

5. योजना आयोग द्वारा ग्वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए बजट प्रावधान के अनुसार इस स्कीम के लिए 325 करोड़ रूपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

उद्देश्य :

6(प) इस योजना का उद्देश्य मदरसों तथा मकतबों जैसी परम्परागत संस्थाओं को अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान, हिन्दी तथा अंग्रेजी जैसे विषयों को शामिल करने हेतु वित्तीय सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि इन संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चे कक्षा–८ से ग्प्प की शैक्षिक दक्षता हासिल करने योग्य बन सके। हालांकि, पारम्परिक मदरसों तथा मकतबों की आधुनिकीकरण प्रकिया स्वैच्छिक होगी।

(पप) यह योजना इन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को विशेषतः माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर हेतु राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के समकक्ष शिक्षा अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे इन संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा की ओर प्रगति करने में सक्षम होंगे और इससे उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। मकतबे/मदरसे/दारूल–उलूम प्राथमिक तथा मिडिल स्तरीय शिक्षा अथवा/और साथ ही माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रत्यायित अध्ययन केन्द्र बन सकते हैं। ऐसे कार्यकलापों जो इन उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान करे, के लिए मकतबों, मदरसों तथा दारूल–उलूम को सहायता दी जाएगी।

(पपप) इस योजना के तहत मदरसों में पढ़ने वाले 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों जिन्होंने सहायता का विकल्प चुना है, के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर की मांग की जाएगी ताकि रोजगार बाजार में प्रवेश के अवसर बढ़ सकें एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल सके।

(पअ) यह योजना राज्य मदरसा बोर्डों को मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अनुवीक्षण में सक्षम बनाकर उन्हें सुदृढ़ भी बनाएगी और मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाएगी।

(अ) इस योजना के तहत विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी तथा अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों को पढ़ाने हेतु नियुक्त शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनकी शैक्षणिक योग्यता में सुधार हो सके।

कवरेज :

7. एस क्यू पी ई एम एक मांग आधारित योजना है। 11वीं योजनावधि के दौरान इस स्कीम के तहत देशभर के कुल 4500–6000 मदरसों को शामिल करने और इन मदरसों में कार्यरत लगभग 13500–18000 शिक्षकों को मानदेय प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें वे मदरसे शामिल होंगे जिनके लिए सतत आवर्ती अनुदान दिया जाएगा तथा नए मदरसे भी इसमें शामिल होंगे। उम्मीद है कि मदरसों में पढ़ रहे लगभग 7 लाख विद्यार्थी अपनी पारम्परिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करेंगे।

घटक तथा वित्तीय पद्धति :

8. मकतबों/मदरसों/दारूल–उलूम के लिए वित्तीय सहायता में निम्नलिखित मद शामिल होंगेः–

क) यदि प्रत्येक विषय में कम से कम दस विद्यार्थी उपलब्ध हों तो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा, कंप्यूटर अनुप्रयोग तथा विज्ञान विषयों के शिक्षण हेतु शिक्षकों की नियुक्ति 12 महीने के लिए प्रत्येक पूर्णकालिक स्नातक शिक्षक को 6000/–रू. प्रतिमाह की दर से और स्नातकोत्तर/बी.एड. शिक्षक को 12000/–रू.प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जाएगा। राज्य सरकारें/मदरसा बोर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिक विद्यार्थियों वाले बड़े मदरसे बेहतर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करें।

ख) पुस्तकालयों/पुस्तक बैंकों को सुदृढ़ बनाने और प्राथमिक/मिडिल/माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर अध्ययन अध्यापन सामग्री प्रदान करने हेतु प्रत्येक मदरसे को एकमुश्त 50,000 रू. की सहायता दी जाएगी और इसके उपरांत 5000/–रू. का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।

ग) आधुनिक विषयों के शिक्षण हेतु विज्ञान किटें, गणित किटें और अन्य आवश्यक शैक्षणिक उपस्कर खरीदने के लिए अधिकतम 15000/–रू. का अनुदान दिया जाएगा।

घ) माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के मदरसों में विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशालाएं/कार्यशालाएं स्थापित करने हेतु प्रत्येक मदरसे को अधिकतम 100000 रू. तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसके उपरांत इन उपस्करों के रखरखाव/खरीद हेतु 5000/–रू. का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।

ड.) इस योजना के तहत मदरसों में नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक कौशलों को बढ़ाने हेतु सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता दी जाएगी। एस.सी.ई.आर.टी./डाइट/बीआरसी आदि द्वारा समूहों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा इस उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार के माध्यम से निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशिक्षु शिक्षक के प्रशिक्षण हेतु खर्च तथा टी.ए./डी.ए. की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्था को 100 रू. प्रति दिवस प्रति प्रशिक्षु शिक्षक की दर से अधिकतम 15 दिवस के प्रशिक्षण हेतु भुगतान किया जाएगा।

(च) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के अध्ययन का विकल्प अपनाने वाले प्रत्येक छात्र के नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली अध्ययन सामग्री की लागत हेतु 100 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(छ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा मानकों को पूरा करने के पश्चात मदरसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकते हैं। नामांकन शुल्क की पूर्ति उपर्युक्त (च) के अनुसार की जाएगी। कार्यशालाओं के उपयोग तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु मदरसों को उद्योग जगत, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित आई.टी.आई. जो कि आस–पास स्थित हों, के साथ जोड़ा जाएगा।

(ज) सहायता विकल्प अपनाने वाले राज्य मदरसा बोर्डों को 5.0 लाख रू. प्रति वर्ष प्रति मदरसा की आवर्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर एस.पी.क्यू.ई.एम. की मानीटरिंग हेतु उनकी क्षमता के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योग्य तथा सक्षम स्टाफ, कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण; कार्यालय उपस्करों, अनुसंधान तथा मूल्यांकन, शिक्षा में भागीदारी हेतु मुस्लिम समुदाय में जागरूकता लाने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

(झ) स्कीम के प्रचार, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु भारत सरकार के स्तर पर 50 लाख रू. प्रति वर्ष की सीमा तक आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

पात्रता शर्तें:

9. इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन करने के लिए वे मदरसे पात्र होंगे जो कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हैं तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार अधिनियमों अथवा मदरसा बोर्ड अथवा वक्फ बोर्ड अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

10. दूरस्थ शिक्षा स्वरूप के अंतर्गत शामिल होने तथा सरकारी अनुदान के लाभ हेतु विकल्प अपनाने वाले सभी मदरसों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से प्रत्यायित होना आवश्यक होगा। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने वाले मदरसे राज्य मदरसा बोर्डों/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के साथ अपने संबद्धन/प्रत्यायन को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराएँगे। इस उद्देश्य हेतु मदरसा संबद्धन/प्रत्यायन हेतु एक आवेदन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को भेजेगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा मदरसे को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अध्ययन केन्द्र का दर्जा प्रदान किए जाने के पश्चात वह इस प्रकार के मदरसे में अध्ययन केन्द्र की अकादमिक गतिविधियों के संचालन हेतु सभी आवश्यक उपाय करेगा।

11. स्कीम के अंतर्गत नियुक्त मदरसा शिक्षकों के लिए सामूहिक प्रशिक्षण की व्यवस्था एससीईआरटी/ डाइट/ बी आर सी द्वारा कराई जाएगी तथा इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार के माध्यम से प्रशिक्षण संस्था को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशिक्षण

सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रमाणपत्र, जो प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो, को प्रदान करने संबंधी ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा रखा जाना तथा सहायता–अनुदान समिति को प्रति वर्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

12. वे मदरसे जिनके संबंध में शिक्षकों हेतु मानदेय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इस स्कीम के वेतन घटक हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, ऐसे मदरसे स्कीम के अन्य घटकों के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु पात्र होंगे।

13. किसी अन्य राज्य/केन्द्रीय स्कीम के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकों, कम्प्यूटरों, विज्ञान/गणित किटों आदि हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मदरसे इस स्कीम के अंतर्गत उस घटक हेतु पात्र नहीं होंगे।

निधीयन पैटर्न तथा अन्य शर्तें:

14ण 11वीं योजना के दौरान इस स्कीम हेतु 100 प्रतिशत निधियन केन्द्र सरकार उपलब्ध कराएगी।

15ण स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता वार्षिक आधार पर उन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी जिनके क्षेत्राधिकार में संस्था स्थित है।

16ण निधियां स्कीम के मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कीम के अंतर्गत आवंटनों को अधिकतम सीमा समझा जाना चाहिए तथा वास्तविक जारी आबंटन वास्तविक लाभार्थियों पर आधारित होगा। मदरसों/राज्य मदरसा बोर्डों को लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित लेखा परीक्षित व्यय प्रमाणपत्र, निर्धारित परिपत्र में, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17ण अनुदान केवल उन संगठनों/संस्थाओं के लिए स्वीकार्य होगा जो पिछले वर्ष में प्राप्त अनुदानों के संबंध में प्रत्येक घटक को अलग से दर्शाने वाला अद्यतन और प्रमाणित लेखा–विवरण प्रस्तुत करेंगे। अनुवर्ती अनुदानों हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा यदि पिछले अनुदान के एक वर्ष के भीतर ऐसा दावा नहीं किया जाता है।

18ण संगठन के लेखों और कार्य–कलापों का रिकार्ड, मांग किए जाने पर, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

19ण राज्य सरकार और अनुदानग्राही संस्थाएं वार्षिक प्रगति रिपोर्टें और उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे और केन्द्र सरकार, महालेखानियंत्रक अथवा नियंत्रक महालेखापरीक्षक अथवा उनके नामित व्यक्तियों द्वारा इनकी वित्तीय संवीक्षा की जा सकती है।

20ण जब कभी भी आवश्यक प्रतीत होगा, केन्द्र सरकार किसी भी समय अनुदानग्राही संस्थाओं का निरीक्षण कर सकती है।

कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षणः

21. निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगीः

प) राज्य सरकारों द्वारा स्कीम का कार्यान्वयन किया जाएगा। नियमानुसार वित्तीय सहायता के सभी आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन प्रपत्र में राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए जाएँगे। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मदरसों के लिए अनुबंध भाग–। (फार्मेट ८ से प्ट) और राज्य मदरसा बोर्ड के लिए अनुबंध भाग–।।। (फार्मेट टप) होगा। राज्य सरकार मदरसों के लिए भाग–।। (फार्मेट ट) और राज्य मदरसा बोर्ड के लिए भाग–।।। पैरा 8 में अपनी सिफारिशें भारत सरकार को अग्रेषित करेगी।

पप) स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव की संवीक्षा करने एवं संस्तुति करने हेतु, राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश संगत विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अनुदान समिति का गठन करेंगे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक नामिती को इसमें शामिल करेंगे।

पपप) राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में स्थापित अनुदान समिति इन प्रस्तावों के गुण व दोष के आधार पर विचार करेगी और अनुमोदन प्रदान करेगी।

पअ) केन्द्रीय सहायता अनुदान समिति के निम्नलिखित घटक होंगे :

सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, सदस्य सचिव, वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मदरसा शिक्षा प्रबन्ध/ बोर्ड से एक/दो प्रतिनिधि, एक सुविख्यात शिक्षाविद, गृह मंत्रालय (नीति एवं आयोजना), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार जिनके प्रस्ताव कार्यसूची में सूचीबद्ध किए गए हैं, के प्रतिनिधि।

अ) भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश स्कीम का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन करेंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या और उनकी उपलब्धियों में गुणात्मक सुधार के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाएं राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/ मदरसा बोर्ड द्वारा एकत्र की जाएगी और केन्द्रीय सहायता अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। केन्द्रीय सहायता अनुदान समिति जैसा उपयुक्त हो, स्कीम की प्रगति के संबंध में समीक्षा एवं मूल्यांकन करेगी। स्कीम के कार्यान्वयन के दो वर्षों के पश्चात इसका एक स्वतंत्र एवं गहन मूल्यांकन किया जाएगा।

संलग्नक

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की योजना

आवेदन पत्र

भाग–1

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. मदरसों को चलाने वाले संगठन/सोसाइटी का नाम'(पूरा पता सहित)

2. वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मदरसे का नाम और पता

3. उद्देश्य और कार्यकलाप (मदरसा(मदरसों) को चलाने वाले संगठन/सोसाईटी का संक्षिप्त ब्यौरा दें।)

4. क्या केन्द्र या राज्य वक्फ अधिनियमों/राज्य मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत है या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के केन्द्र द्वारा प्रत्यायित है। यदि हां, पंजीकरण संख्या(पंजीकरण/प्रत्यायन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)।

5. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मदरसों के आधुनिक विषयों में विशिष्ट शैक्षिक कार्यकलाप।

(क) क्या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मदरसे को विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव–विज्ञान) गणित, सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल/नागरिक शास्त्र इत्यादि), भाषाएं (राज्य भाषा/हिन्दी/अंग्रेजी) इत्यादि जैसे विषयों के शिक्षण में कोई अनुभव है? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा दें।

(ख) क्या वे राज्य पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान या अन्य किसी पाठ्यचर्या का अनुसरण करते हैं, कृपया उल्लेख करें।

' जहां भी मदरसे का उल्लेख किया गया है, उसमें मकतबों, मदरसे और दारूल्लम शामिल है जैसा कि औपचारिक शिक्षा के स्तर पर लागू है।

(ग) इन विषयों का अध्ययन करने वाले बच्चों की कक्षा–वार और बालक–बालिका वार संख्या। यदि उनमें कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (विकलांग बच्चे) हैं तो उनकी संख्या और कक्षा का उल्लेख किया जाए।
(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सीट संलग्न करें)।

(घ) पहले से कार्यरत तथा आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। कृपया उनकी भर्ती के वर्ष सहित ब्यौरा दें; क्या वे प्रशिक्षित शिक्षक हैं(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंडों के अनुसार पूर्व सेवा अर्हताएं सहित); शिक्षण (प्राथमिक/अपर प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विषयों) के स्तर अनुसार अलग–अलग सूचना दें; विषय–वार ब्यौरों का भी उल्लेख करें।
(अलग शीट संलग्न की जा सकती है।)

6. मदरसे की आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा

क) क्या मदरसा अपने स्वयं के या किराए के भवन में स्थित है? ब्यौरा दें।

ख) शिक्षण और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या।

ग) क्या वर्तमान आवास परम्परागत और आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए उपयुक्त है? ब्यौरा दें।

घ) क्या मदरसे में विज्ञान प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर शिक्षा इत्यादि के लिए अलग कमरा (कमर) हैं?
(माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के मदरसे/मदरसों के लिए ही लागू हैं।) ब्यौरा दें।

7. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा प्रत्यायन

क) क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा पहले से ही प्रत्यायित है? निम्नलिखित का ब्यौरा दें:–

;पद्ध राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में पंजीकृत छात्रों की संख्या

;पपद्ध कक्षा–3,5,8,10 और 12 के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, प्रत्यायन के प्रत्येक वर्ष को अलग–अलग बताया जाए।

(ख) यदि अभी तक प्रत्यायित नहीं किया गया है तो क्या वित्तीय सहायता की मांग करने वाले मदरसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से प्रत्यायन प्राप्त करने को इच्छुक हैं? यदि हां, तो क्या उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान को अपना आवेदन भेज दिया है(आवेदन पत्र की संदर्भ संख्या दें) और कब तक (क) शैक्षिक विषय (कक्षा–3,5,8,10 तथा 12) और/अथवा (ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम (माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से प्रत्यायन प्राप्त हो जाने की उम्मीद है?

8. वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव का ब्यौरा

(i) अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या और आधुनिक विषयों के अध्यापन और साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए अपेक्षित धनराशि।

आवश्यकताएं संलग्न फार्मेट–। में दी जाएं
(ये नियुक्तियां संविदा आधार पर हो सकती हैं। इस योजना में संवर्ग अथवा नियमित नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। यह पूर्णतः अल्पावधिक आधार पर है।)

(ii) आधुनिक विषयों के अध्यापन हेतु पुस्तकालयों/पुस्तक बैंकों/पाठ्यपुस्तकों/विज्ञान प्रयोगशालाओं/कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं/विज्ञान तथा गणित किटों आदि के लिए अपेक्षित संख्या एवं राशि।

आवश्यकताएं संलग्न फार्मेट–।। में दी जाएं
(प्रयोगशालाएं/विज्ञान प्रयोगशालाएं/कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं केवल माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए है।)

(iii) पुस्तकालय पुस्तकों के लिए क्या कोई चयन मानदंड निर्धारित किया गया है और क्या मदरसा द्वारा कोई क्रय समिति गठित की गई है?

(iv) आधुनिक शैक्षिक विषयों हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए मदरसों द्वारा अपेक्षित राशि।

आवश्यकताएं संलग्न फार्मेट–।।। में दी जाएं

(v) व्यावसायिक विषयों हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए मदरसों द्वारा अपेक्षित राशि।

निधियों की आवश्यकता संलग्न फार्मेट–प्ट में दी जाएं

10 कुल अपेक्षित राशि

11 क्या आधुनिक विषयों के अध्यापन हेतु मदरसे को किसी और स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है? यदि हां, तो राशि की मात्रा और जिस प्रयोजनार्थ यह दी जा रही है, उसका उल्लेख किया जाए। (किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।)

12 सरकार से अनुरोध की गई निवल राशि (10–11)

दिनांकः

स्थानः

प्रेसीडेंट／अध्यक्ष／सचिव के हस्ताक्षर

फार्मेट– I
(भौतिक तथा वित्तीय)

शिक्षक वेतन तथा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक निधि																
1	2	3		4	5			6				7				
मदरसों में तैनात शिक्षकों की कुल संख्या (आधुनिक विषयों हेतु)	मदरसों में छात्रों की कुल संख्या (आधुनिक विषयों हेतु)	शिक्षक छात्र अनुपात		वर्ष हेतु एसपीक्यूईएम के अंतर्गत प्रस्तावित शिक्षकों की कुल संख्या(प्रति मदरसा 3 से अधिक नहीं हो सकती)	कॉलम–4 में प्रस्तावित शिक्षकों में से कितने मौजूदा हैं तथा कितने नए भर्ती किए जाने हैं।			कॉलम–4 में प्रस्तावित शिक्षकों की संख्या जिन्हें शिक्षा के स्तर के अनुसार तैनात किया जाना है। ख				कॉलम–4 में प्रस्तावित शिक्षकों की विषय–वार संख्या खख				
		प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाएं	माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाएं		मौजूदा	भर्ती किए जाने	कुल	प्राथमिक स्तर हेतु	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु	माध्यमिक स्तर हेतु	वरिष्ठ माध्यमिक स्तर हेतु	विज्ञान	गणित	भाषा	सामाजिक अध्ययन	कम्प्यूटर शिक्षा

ख यदि शिक्षक एक से अधिक स्तर पर पढ़ाता है तो केवल उच्चतम स्तर को अंकित किया जाए।

खख यदि शिक्षक एक से अधिक विषय पढ़ाता है तो दोनों को दिखाया जाए, उदाहरण के लिए यदि दो शिक्षक विज्ञान एवं गणित पढ़ाते हैं तो 2 गणित तथा 2 विज्ञान लिखा जाए।

8							9									10	11	
कुल आवश्यक राशि (प्रति मदरसा तीन शिक्षक से अधिक नहीं)							शिक्षकों की संख्या जिन्हें प्रतिवर्ष स्तर के आधार पर आधुनिक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा									एजेंसी जिनके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।	कुल आवश्यक राशि	
स्नातक शिक्षक			स्नातकोत्तर शिक्षक/बी0एड0															
शिक्षकों की संख्या	यूनिट लागत	कुल	शिक्षकों की संख्या	यूनिट लागत	कुल	कुल योग	विज्ञान		सामाजिक विज्ञान		भाषा		गणित		कुल		यूनिट लागत	कुल
							ईई'	एसई''	ईई	एसई	ईई	एसई	ईई	एसई				

' प्रारंभिक शिक्षा स्तर
'' माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर

फार्मेट–।। (भौतिक और वित्तीय)

पुस्तकालयों/बुक बैंकों/शिक्षक अध्ययन सामग्री/विज्ञान किट/गणित किट/विज्ञान प्रयोगशालाएं/कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं के लिए निधियों की आवश्यकता							
	1	2	3		4	5	6
	मांगे गए उपकरण/सामग्री का प्रकार	खरीदे जाने वाली संख्या	लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या कक्षा–वार		आवश्यक राशि (मानकों के लिए ग्राह्य अधिकतम राशि बढ़ाई नहीं जा सकती)' आरंभिक अनुदान	वार्षिक अनुदान	कुल आवश्यक निधियां
			कक्षा की संख्या	बच्चे			
1	क) विज्ञान किट/(केवल प्राथमिक/उच्चतर प्राथमिक के लिए)						
	ख) गणित किट/(केवल प्राथमिक/उच्चतर प्राथमिक के लिए)						
2.	विज्ञान प्रयोगशालाएं (केवल माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक के लिए)						
3.	कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं (केवल माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक के लिए)						
4.	(क) अध्ययन शिक्षण सामग्री/पाठ्यपुस्तकें (सामग्री का प्रकार परिभाषित करें) एनबीः (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान शिक्षण अध्ययन सामग्री में पंजीकरण शुल्क सम्मिलित होता है और इसे दोहराया नहीं जा सकता।						
	(ख) बुक बैंक्स	लागू नहीं	लागू नहीं				
	(ग) पुस्तकालय पुस्तकें						
	कुल योग						

' प्रारम्भ में इस स्कीम के अंतर्गत संघ के केवल प्रथम वर्ष में

फार्मेट– III

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्था से प्रत्यायन(शैक्षणिक) की मांग करने वाले मदरसे (मदरसे और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के संयुक्त हस्ताक्षर के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना)																
1.	2.	3.	4.	5.												6.
क. सं.	पूरे पते/ तहसील / जिला / राज्य के साथ मदरसे का नाम	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से प्रत्यायन होने की तिथि (प्रत्यायन पत्र की प्रति लिपि संलग्न करें)	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में साथ पंजीकृत छात्रों की संख्या (प्रत्येक कक्षा के छात्रों का ब्यौरा दिया जाना)	निधियों की आवश्यकता												आवश्यक राशि का कुल योग(5(क) .5(ख) .5 (ग),
				5(क)			5(ख)						5(ग)			
				प्रत्यायन शुल्क**ख** (प्राप्ति की प्रतिलिपि संलग्न की जाए			पंजीकरण शुल्क (सामग्री की लागत शामिल)						परीक्षा शुल्क			
				ओपन बेसिक एजूकेशन (कक्षा–3,5 और 8	माध्यमिक	वरिष्ठ माध्यमिक	बच्चों की संख्या					आवश्यक राशि	बच्चों की संख्या	यूनिट लागत	आवश्यक राशि	
							बालक	बालिकाएं	सी डब्ल्यू एस एन''	कुल	यूनिट लागत	कुल राशि				
कुल																

’फार्मेट–1 में दिए गए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदानों के साथ दोहराया नहीं जा सकता
’’सी डब्ल्यू एस एन – विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे
ख राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार लागत

________________ ____

मदरसा हस्ताक्षरकर्ता — राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान हस्ताक्षरी

फार्मेट–प्ट

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से प्रत्यायन का चुनाव करने वाले मदरसे (व्यावसायिक शिक्षा) (केवल माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए)
(मदरसा एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के संयुक्त हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत किया जाए)

1	2	3	4	5				6		7	
क. सं.	पूरे पते/तहसील/जिला/राज्य के साथ मदरसे का नाम	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थान के रूप में प्रत्यायन की तारीख (ए.वी.आई.) (प्रत्यायन पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)	फीस का प्रत्यायन (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान द्वारा जारी की गई प्रत्यायन फीस की रसीद की प्रति)	व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (ट्रेड द्वारा) हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान में पंजीकृत बच्चों की संख्या				पंजीकरण फीस हेतु आवश्यक राशि		ए.वी.आई. विवरण	
				ट्रेड	लड़के	लड़कियां	कुल	ट्रेड द्वारा इकाई लागत	कुल आवश्यक राशि	ट्रेड में प्रशिक्षुओं का नाम एवं सख्या	परिसर जिसमें व्यावसायिक शिक्षा हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा
कुल											

मदरसा हस्ताक्षरकर्ता — राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान हस्ताक्षरकर्ता

भाग– II

(राज्य सहायता– अनुदान समिति की सिफारिश)

क. राज्य सहायता अनुदान समिति के लिए जांच बिन्दु

1. क्या राज्य सरकार ने इस स्कीम के तहत मदरसों का चयन करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए हैं और इनका प्रचार–प्रसार किया है? हां / नहीं
2. क्या वित्तीय सहायता के लिए संस्तुत किए जा रहे प्रस्ताव इस मानदण्ड के अनुसार हैं? हां / नहीं
3. क्या प्रस्ताव यथानिर्धारित विहित आवेदन फार्म और संलग्नकों में प्राप्त हुए हैं? हां / नहीं
4. क्या इन प्रस्तावों की छानबीन की गई है और क्या ये इस स्कीम की पात्रता और वित्तीय पैरामीटरों के अनुसार हैं? हां / नहीं
5. क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की सहमति प्राप्त की गई है? हां / नहीं
6. क्या राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुकर बनाया है और इसके लिए व्यवस्था की है जैसी कि इस स्कीम में परिकल्पना की गई है? हां / नहीं
7. क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि निधियां प्राप्त करने के लिए संस्तुत किए जा रहे मदरसे इसी उद्देश्य के लिए अन्य राज्य सरकार / केन्द्र सरकार स्कीमों / कार्यक्रमों से प्राप्त निधियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं? हां / नहीं
8. क्या उस मदरसे जिसका मामला संस्तुत किया जा रहा है ने यथा–विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षित लेखे, उपयोग प्रमाण पत्र, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य निष्पादन रिपोर्ट जो इस मामले को अग्रेषित करने की तारीख तक देय थे, प्रस्तुत कर दिए हैं? हां / नहीं
9. प्राथमिकता का वह क्रम जिसमें मदरसे का मामला संस्तुत किया जा रहा है?

(कृपया संबंधित संख्या अंको और शब्दों में दी जाए)

ख. संलग्न किए जाने वाले फार्मेट अ में प्रस्ताव का ब्यौरा।

ग. इस आवेदन पत्र की जांच की गई है और यह सत्यापित किया जाता है कि उक्त संगठन सहायता का पात्र है तथा आवेदित कार्यक्रम को पूरा करने की क्षमता रखता है

(राज्य सहायता–अनुदान समिति के सदस्य–सचिव के हस्ताक्षर)

फार्मेट–अ

(सहायता अनुदान समिति के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार द्वारा भरे जाने और केन्द्र सरकार को सहायता के लिए भेजे जाने के लिए)

मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत सहायता का ब्यौरा

राज्य का नाम–––

क्र. सं.	जिला/तहसील	मदरसे का नाम और पता, मदरसे का स्तर अर्थात् प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक का उल्लेख किया जाए।	मदरसे की स्थापना और मदरसा बोर्ड/वक्फ बोर्ड/एन. आई.ओ. एस. से पंजीकरण की तारीख	विगत में केन्द्र/राज्य स्कीमों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा	मदरसे के विद्यार्थियों की संख्या	यदि मदरसा एन.आई. ओ.एस. से प्रत्यायित है तो कक्षा 3,5,8,10 और 12 के प्रमाण पत्र के लिए शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का उल्लेख किया जाए	उन शिक्षकों की कुल संख्या जिनके लिए सहायता का प्रस्ताव किया गया है	विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं' और विज्ञान किट/गणित किट'' के लिए अपेक्षित उपस्कर तथा शिक्षण अध्ययन सामग्री का ब्यौरा	विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित पाठ्य पुस्तकों/पुस्तकों/पुस्तकालय का ब्यौरा	यदि प्रत्यायित नहीं है तो एन. आई.ओ. एस. से प्रत्यायन अपेक्षित है।	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

' माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तरीय मदरसों के लिए

'' प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरीय मदरसों के लिए

(राज्य सहायता–अनुदान समिति के सदस्य–सचिव के हस्ताक्षर)

(दो प्रतियॉ प्रस्तुत की जाएं)

मदरसों में गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने की योजना

राज्य मदरसा बोर्ड के लिए आवेदन–पत्र

भाग–III

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्य मदरसा बोर्ड का नाम व पता

2. क्या यह बोर्ड राज्य वक्फ अधिनियम अथवा राज्य के किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है? यदि हां, तो पंजीकरण संख्या बताएं। (पंजीकरण की एक प्रति संलग्न की जाए)

3. राज्य मदरसा बोर्ड के उद्देश्य तथा कार्यकलाप (अधिनियम/चार्टर के अनुसार)

4. राज्य मदरसा बोर्ड के विशिष्ट शैक्षिक कार्यकलाप, संक्षिप्त विवरण दिया जाए

5. राज्य मदरसा बोर्ड का विवरण :

क) क्या राज्य मदरसा बोर्ड अपने भवन में अथवा किराये के भवन में स्थित है? कृपया विवरण दें।

ख) प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कमरों की संख्या

ग) राज्य मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों की संख्या, इन मदरसों में नामांकित बच्चों, बालक तथा बलिकाओं की संख्या

घ) क्या राज्य मदरसा बोर्ड ने मदरसों के लिये अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम को अधिसूचित किया है अथवा मदरसों में सामान्य विषयों के अध्यापन/अध्ययन हेतु राज्य औपचारिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है/अपनाया है। (कृपया संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें)

ड.) राज्य मदरसा बोर्ड से अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों के संबंध में राज्य मदरसा बोर्ड की अनुवीक्षण प्रणाली का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। राज्य मदरसा बोर्ड के अनुवीक्षण संबंधी कार्यकलापों के लिये अनुमोदित परिव्यय तथा पिछले दो वर्षों के दौरान किया गया खर्च।

च) मुस्लिम समुदाय में औपचारिक शिक्षा के संवर्धन के संबंध में राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा शुरू किये गये जागरूकता सृजन संबंधी कार्यक्रम (प्रणाली विज्ञान, कवरेज, विषय–वस्तु आदि का संक्षिप्त विवरण दें) तथा पिछले दो वर्षों में आबंटित निधियॉं तथा इस प्रयोजनार्थ किया गया खर्च।

6. राज्य मदरसा बोर्ड में शैक्षिक कार्यकलापों के लिये निधियॉं

क) पिछले दो वर्षों के लिये शैक्षिक कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकार से प्रति वर्ष राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियों का स्वरूप तथा राशि।

ख) उल्लिखित अनुदानों से लाभ प्राप्त करने वाले मदरसों की संख्या

ग) शैक्षिक कार्यकलापों के लिये राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसों को निधियों के अंतःकरण संबंधी व्यवस्था।

घ) (i) राज्य मदरसा बोर्ड लेखाओं की लेखा परीक्षा व्यवस्था कृपया इसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें तथा पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखाओं की प्रति संलग्न करें।

(ii) उपर्युक्त 6 (क) तथा (ख) में शामिल योजनाओं में भाग लेने वाले मदरसों के संपरीक्षित लेखाओं तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र के लिये निर्धारित राज्य मदरसा बोर्ड दिशानिर्देशों का संक्षिप्त विवरण।

7. मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की योजना के
तहत राज्य मदरसा बोर्ड के लिये निधियन हेतु प्रस्ताव
(क) आवेदन पत्र के प्रपत्र–I/I के अनुसार प्रस्ताव संलग्न करें।

(ख) अन्य किसी विवरण अथवा कार्य के लिए सम्बद्ध संलग्नक,
यदि आवश्यक हों, अतिरिक्त शीट पर संलग्न करें।

दिनांक :
स्थान :

राज्य मदरसा बोर्ड के सभापति/अध्यक्ष/सचिव' के हस्ताक्षर

'हस्ताक्षरकर्ता को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा

8. (राज्य सहायता अनुदान समिति के सचिव द्वारा भरा जाए)

राज्य सहायता अनुदान समिति ने ———————————————————————————— राज्य के लिये राज्य मदरसा बोर्ड के निधियन हेतु प्रस्ताव की जांच कर ली है और भारत सरकार की मदरसों में गुणवत्ता, शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत निधियन हेतु इसे स्वीकार कर दिया है क्योंकि यह उपर्युक्त योजना के पैरामीटरों के अंतर्गत आता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर : ————————————————

सदस्य–सचिव, राज्य सहायता अनुदान समिति

फार्मेट–।/।

(भौतिक एवं वित्तीय)

राज्य मदरसा बोर्डों के लिए											
1	2	3	4			5			6	7	8
क. सं.	राज्य	राज्य मदरसा बोर्ड का नाम एवं पता	स्टाफ का वेतन			कार्यालय के लिए कम्प्यूटर/उपस्कर			अनुसंधान एवं मूल्यांकन	जागरूकता सृजन	अपेक्षित राशि का कुल योग (4+5+6+7)
			स्टाफ का पदनाम	प्रति माह वेतन की यूनिट लागत	कुल अपेक्षित राशि	श्रेणी द्वारा उपस्करों की संख्या	यूनिट लागत	कुल आवश्यक राशि	आवश्यक राशि	आवश्यक राशि	
कुल											

कृपया ध्यान दें : अतिरिक्त संलग्न कागजों पर कार्यालय की दक्षता को बढ़ाने और अनुसंधान एवं मूल्यांकन एवं जागरूकता सृजन संबंधी योजना को प्रारंभ करने हेतु कृपया राज्य मदरसा बोर्ड के ब्यौरे संलग्न करें।